भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3237
31.03.2022 को उत्तर के लिए

असंगठित क्षेत्र में ई-अपशिष्ट प्रबंधन

3237. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों के अनुसार ई-कचरा संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या नीतिगत बदलाव किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र द्वारा निपटाए जा रहे ई-कचरे के अनुपात का अनुमान लगाया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ड.) क्या सरकार को असंगठित क्षेत्र को पेश आ रही ई-कचरे से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में जानकारी है और उसके समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) : ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत, अधिसूचित विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के उत्पादकों को चरणवार वार्षिक ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य दिया गया था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष (एफवाय) 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमश: 1,64,663 टन; 2,24,041 टन और 3,54,291.22 टन ई-अपशिष्ट संग्रहित किया गया और संशोधित किया गया था।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के पैरा 21 (2) के तहत चूककर्ता इकाइयों/उत्पादकों को वित्तीय दंडों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीपीसीबी द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

(ग) और (घ) अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा संभाले जा रहे ई-अपशिष्ट के अनुपात के संबंध में अभी तक कोई प्रामाणिक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ङ.) और (च) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत, राज्य में श्रम विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य सरकारी एजेंसी को ई-अपशिष्ट के विघटन और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत, ई-अपशिष्ट का संग्रहण और प्रसंस्करण केवल उत्पादकों या उनके अधिकृत सहयोगियों/सहभागियों, अधिकृत विखंडनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और अधिकृत नवीनीकरणकर्ताओं द्वारा ही किया जा सकता है। ई-अपशिष्ट के अनौपचारिक संग्रहण और अवैज्ञानिक विखंडन और पुनर्चक्रण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार (ईपीआरए) के तहत, एक उत्पादक को अपने ई-अपशिष्ट का प्रबंधन केवल ई-अपशिष्ट के अधिकृत विखंडनकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से ही कराना चाहिए।

- सीपीसीबी केवल उन उत्पादकों को ईपीआरए प्रदान करता है जिन्होंने उपर्युक्त नियमों के अनुसार अधिकृत इकाई के माध्यम से ई-अपशिष्ट के संग्रहण की प्रणाली स्थापित की है।

- मई, 2019 से पूरे देश में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को लागू करने के लिए एक कार्य योजना लागू है। इस कार्य योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है और एसपीसीबी/पीसीसी को प्रगति की समीक्षा कराने के लिए अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टों को सीपीसीबी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त कार्य योजना में, अनौपचारिक व्यापारियों, ई-अपशिष्ट के विखंडनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं की जांच करने को एक कार्य बिंदु के रूप में लिया गया है। अनौपचारिक गतिविधियों की पहचान करने के लिए राज्य के जिलाप्रशासन के साथ-साथ सभी एसपीसीबी द्वारा अभियान चलाए जाने हैं। ई-अपशिष्ट कार्य योजना की स्थिति एवं प्रगति को अपलोड करने के लिए एक ई-अपशिष्ट प्रबंधन समीक्षा पोर्टल भी विकसित किया गया है।

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा अभियान चलाने के लिए टीमों का गठन करने, नोटिस जारी करने, प्रचालन बंद करने, अनौपचारिक प्रसंस्करण के विरुद्ध ई-अपशिष्ट को जब्त करने जैसी कार्रवाईयां की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उक्त कार्य योजना के अनुसार, सत्रह एसपीसीबी/पीसीसी ने अनौपचारिक पुनर्चक्रण के विरूद्ध अभियान शुरू किया है।

- उक्त नियमों के अनुसार, ई-अपशिष्ट के विखंडन और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों को मान्यता प्रदान करने एवं उनका पंजीकरण करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। उक्त नियमों के नियम 12 (1) के तहत, राज्य सरकार को मौजूदा ओर आगामी औद्योगिक पार्क, एस्टेट और औद्योगिक समूहों (क्लस्टर) में ई-अपशिष्ट के विघटन और पुन:चक्रण हेतु औद्योगिक स्थान या शेड के अभिनिर्धारण या आबंटन को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।

******